

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव (पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 168/2015

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
आसू पुत्र देरामा फौत के कायम मुकाम 1. केसराराम पुत्र आसूराम 2. बनाराम पुत्र आसूराम 3. धापूदेवी पत्नी आसूराम जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. पदमा पुत्र वगता 2. पुरखा पुत्र वगता 3. जेठा पुत्र खेमा 4. नगराम पुत्र धर्मराम 5. नवलाराम पुत्र धर्मराम 6. भोमाराम पुत्र धर्मराम 7. लाखाराम पुत्र धर्मराम 8. गुमानाराम पुत्र तेजाराम फौत के कायम मुकाम 8.1 तुलसाराम पुत्र गुमनाराम 8.2 सुरताराम पुत्र गुमनाराम 8.3 रूखमणी पत्नी गुमनाराम 9. किरताराम पुत्र वालाराम 10. हीरोदेवी पत्नी वालाराम फौत वारिश रिकर्ड पर 11. पुरखाराम पुत्र गोरधनराम 12. नैनाराम पुत्र गोरधनराम 13. हरखुदेवी पत्नी गोरधनराम जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 14. सुगणीदेवी पुत्री आसूराम पत्नी लक्ष्मणराम जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा हाल निवासी उंचावड़ा, तहसील शिव, बाड़मेर 15. भीखाराम पुत्र पोकरराम जाति जाट, निवासी उंचावड़ा, तहसील शिव, बाड़मेर 16. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू 17. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 18. जोराराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट, निवासी राजबेरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :- अधिवक्ता वादी :- श्री बृजमोहन कुमावत।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 8 व 18 :- श्री बालाराम गोदारा।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 14 :- श्री भगवानदास गोयल।

--: निर्णय :-

दिनांक : 25.08.2025

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल राजबेरा के ग्राम हनुमानपुरा के खेत खसरा नम्बर 846 रकबा 71.1274 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	केसराराम 3/8 बनाराम 3/8 पि. आसूराम धापुदेवी पत्नी आसूराम 1/8 सुगणीदेवी पुत्री आसूराम 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार	हनुमानपुरा	846	2.4523	बा.अ.	0.31	लाल
			846	15.3293	बा.अ.	1.81	
			02	17.7816		2.12	

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

	पदमाराम 87291/177818 पुरखाराम 1/2 पि. वगताराम, जोराराम पुत्र भगवानाराम 809/88909 जाति जाट सा. देह खातेदार	हनुमानपुरा	846	17.7818	बा.अ.	2.12	नियोन
3	नगराम पुत्र धर्माराम जाति जाट सा. देह खातेदार	हनुमानपुरा	846	1.4818	बा.अ.	0.17	आसमानी
4	नवलाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट सा. देह खातेदार	हनुमानपुरा	846	1.4818	बा.अ.	0.17	कथई
5	भोमाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट सा. देह खातेदार	हनुमानपुरा	846	1.4818	बा.अ.	0.17	केसरिया
6	लाखाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट सा. देह खातेदार	हनुमानपुरा	846	1.4818	बा.अ.	0.17	गुलाबी
7	किरताराम पुत्र वालाराम 88909/296368 जेठाराम पुत्र खेमाराम 3389753/16948546 तुलसाराम 1/15 सुरताराम 18139/296368 पि. गुमनाराम, रुखमणी पत्नी गुमनाराम 1/15 नैनाराम 1/10 पुरखाराम 1/10 पि. गोरधनराम, हरखुदेवी पत्नी गोरधनराम 1/10 भीखाराम 1/183 पि. पोकरराम जाति जाट सा. देह खातेदार	हनुमानपुरा	846 846 846	0.4856 11.1693 17.9818	बा.अ. बा.अ. बा.अ.		हरा
			03	29.6368			

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कमिश्नर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कमिश्नर
(SDO) शिव